

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

-: आदेश :-


क्रमांक-...314.../दो-11-16/2002 (भाग-दो)

दमोह, दिनांक 23 जुलाई, 2022

मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 में वर्णित पदोन्नति संबंधी सुसंगत प्रावधान अनुसार एवं स्थापना पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 16.07.2022 को अनुमोदित करते हुए, स्थापना पर कार्यरत सहायक ग्रेड-तीन से सहायक ग्रेड-दो के रिक्त पद वेतनमान 5200-20200+2400/- ग्रेडपे (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल-6 वेतनमान 25300-80500/-) में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नानुसार शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जाता है :-

स. क.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अमित जाट, सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो	श्रीमती सुमन भट्ट सहायक ग्रेड-दो की पदोन्नति रीडर ग्रेड-दो के पद होने के फलस्वरूप उनके रिक्त पद पर।
2	श्रीमती मीना सोनी, सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो	श्रीमती अर्चना ठाकुर सहायक ग्रेड-दो की पदोन्नति रीडर ग्रेड-दो के पद पर दिनांक 01.08.2022 को या उसके पश्चात ही पदोन्नत पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर।


टीप- पदोन्नत शासकीय सेवक, पदोन्नति के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर, निर्धारित प्रारूप पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प, इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांक-2129.../दो-11-16/2002 (भाग-दो)
 प्रतिलिपि :-

दमोह, दिनांक 23 जुलाई, 2022

- 1- जिला कोषालय अधिकारी दमोह
- 2- श्री अमित जाट, सहायक ग्रेड-तीन दमोह
- 3- श्रीमती मीना सोनी, सहायक ग्रेड-तीन दमोह
- 4- लेखापाल/वेतन-ऐरियर्स लिपिक/पेंशन लिपिक/ऑफिस मोहररि/एच.एम.आर.एस. लिपिक/ऑफिस टाईपिस्ट कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 5- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 दमोह (म.प्र.)